रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062024-255013
CG-DL-E-28062024-255013

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2377]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2024/आषाढ 7, 1946
No. 2377]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2024/ASHADHA 7, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2024

का.आ. 2506(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और इस विषय पर पिछले सभी आदेशों के अधिक्रमण में, निदेश देते हैं कि सभी संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक (चाहे उन्हें प्रशासक या उपराज्यपाल के रूप में जाना जाता हो) राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए तथा अगले आदेशों तक, उनके संबंधित संघ राज्यक्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, इस शर्त के अधीन कि केंद्रीय सरकार स्वयं उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और उन सभी या किन्हीं कार्यों का निर्वहन कर सकती है, यदि वह संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में ऐसा करना आवश्यक समझे।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2024 को प्रवृत होगी।

अनुसूची

शक्तियाँ और कार्य

1. राज्य सरकार की उन शक्तियों और कृत्यों के सिवाय सब शक्तियों और कृत्य जो धारा 523 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं।

2. (क) संबंधित संघ राज्यक्षेत्र के मामलों के संबंध में नियोजित व्यक्तियों के संबंध में, धारा 218 की उपधारा (1) और धारा 222 की उपधारा (4) के अधीन केंद्रीय सरकार की शक्तियां और कार्य।

(ख) धारा 360 के परंतुक की मद (i) के अधीन केन्द्रीय सरकार की लोक अभियोजक को अभियोजन से वापस लेने की अनुज्ञा देने की शक्ति, जहाँ अपराध संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध है।

3. धारा 473 के अधीन समुचित सरकार की शक्तियां और कार्य, सिवाय निम्नलिखित के संबंध में-

(क) ऐसे मामले जंहा दंडादेश, मृत्यु दंडादेश है और इसका लघुकरण नहीं किया गया है;

(ख) ऐसे मामले जहां दंडादेश संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित किसी मामले से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है; और

(ग) ऐसे मामले जहां धारा 473 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट आदेश, संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित किसी मामले से संबंधित किसी विधि के अधीन पारित किया गया है।

[फा. सं. यू-11030/3/2024-यूटीएल]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2024

S.O. 2506(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution and in supersession of all previous orders on the subject, the President hereby directs that the Administrators of all Union territories (whether known as Administrator or Lieutenant Governor) shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) and the rules made thereunder within their respective Union territories, as mentioned in the Schedule hereto annexed, subject to the condition that the Central Government may itself exercise all or any of those powers and discharge all or any of those functions, if it deems necessary to do so in respect of Union territories.

2. This notification shall come into force from the 1st day of July, 2024.

SCHEDULE

Powers and functions

1. All powers and functions of the State Government except those conferred by Section 523.

2 (a) the powers and functions of the Central Government under sub-section (1) of section 218 and sub-section (4) of section 222, in respect of persons employed in connection with the affairs of the concerned Union territory;

(b) the power of the Central Government under item (i) of the proviso to section 360 to permit the Public Prosecutor to withdraw from a prosecution, where the offence is against a law relating to a matter enumerated in List II or List III to the Seventh Schedule to the Constitution.

3. The powers and functions of the appropriate Government under section 473 except in respect of –

(a) cases, where the sentence is the sentence of death and has not been commuted;

(b) cases where the sentence is for an offence against any law relating to any of the matters enumerated in List I to the Seventh Schedule to the Constitution; and

(c) cases where the order referred to in sub-section (6) of section 473 is passed under any law relating to any of the matters enumerated in List I to the Seventh Schedule to the Constitution.

[F. No. U-11030/3/2024-UTL]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA